भारत: एक शिक्षक को जेल में कैद कर दिया गया है, उसके विचार अभी भी स्वतंत्र और अपराजित हैं

मैं अब भी तैयार नहीं हूं मरने को
और उनका दुख है, कि वे नहीं जानते
मुझे मारने का तरीका, क्योंकि
उगती हुई घास की सरसराहट में बसती है
मेरी जिंदगी, जिससे मैं प्यार करता हूं

ये बगावती शब्द गोकरकोंडा नगा "जी. एन.'' साईबाबा के हैं, जो उन्होंने भारत के महाराष्ट्र में स्थित नागपुर केंद्रीय कारागार की अपनी कोठरी में बैठ कर लिखे हैं। व्हीलचेयर के सहारे चलने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के पूर्व व्याख्याता साई ने बरसों तक क्रूर और अमानवीय एकांतवास को झेला है। फिर भी उनका अदम्य प्रतिरोध दमक रहा है उनकी कविताओं के भीतर, जिसका एक संकलन अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कविता के रूप में इन्हें कभी नहीं लिखा। शब्दों को जेल की बंदिशों से बचाने और समानता, उम्मीद व प्रेम से भरे अपने संदेशों को छुपाने के लिए साई ने कुछ चिट्ठियां लिखी थीं अपने दोस्तों को, और 30 साल से साथ निभा रही अपनी जीवनसंगिनी को। इन्हीं चिट्ठियों को लिपिबद्ध किया गया। नतीजा एक किताब की शक्ल में सामने आया, जिसका शीर्षक है, "*मेरे रास्ते से आप इतना डरते क्यों हैं?''*

कैद के हालात

जी. एन. साईबाबा आजकल ज्यादा लिख नहीं पाते। आतंकवाद के जुर्म में 2017 में फर्जी मुकदमे और आजीवन कारावास की सजा के बाद से साई का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया है। दिल की बीमारी, दिमाग में ट्यूमर, पेट में गांठ और सांस की तकलीफ जैसे तमाम रोगों का खास उपचार केवल दिल्ली में उपलब्ध है। उस पर से बाएं हाथ की खराब हो चुकी एक नस के कारण बचपन के पोलियो से उपजी उनकी विकलांगता और बढ़ गई है। नस की बीमारी अब दाएं हिस्से में भी फैल गई है। इससे उनके ऊपरी धड़ में ताकत नहीं बची है। साधारण से कामों, जैसे बैठने, खाने, पीने या शौच जाने के लिए उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। इसकी जिम्मेदारी दो बंदियों को सौंपी गई है। उनके सेल की निरंतर निगरानी की जा रही है, यही उनकी दूसरों पर निर्भरता को बताने के लिए काफी है।

हाल ही में साई ने एक और भूख हड़ताल की थी। इसके बाद जेल प्रशासन सीसीटीवी कैमरों की दिशा को बदलने पर राजी हुआ ताकि उन्हें कुछ निजता दी जा सके। इससे पहले चौबीसों घंटे उनके बिस्तर और शौचालय की निगरानी की जा रही थी और उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। यह साई की एक छोटी सी जीत थी। जी. एन. साईबाबा के हक में संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों द्वारा लगातार की गई पैरवी के बावजूद उन्हें अंडा सेल में रहने को मजबूर किया गया है। इसके भीतर चरम मौसमी घटनाओं से न कोई सुरक्षा है और न ही हिलने-डुलने के लिए बहुत जगह है, जो खासकर साई जैसे व्हीलचेयर पर चलने वाले किसी व्यक्ति के लिए बेहद दुरूह है। उनकी विकलांगता के मद्देनजर कुछ लोगों का मानना है कि हिरासत की ये स्थितियां यातना के जैसी हैं।

दिल्ली में गिरफ्तारी

जी. एन. साईबाबा दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना व्याख्यान देकर 9 मई 2014 को दोपहर के खाने के लिए आवास पर लौट रहे थे कि बिना किसी चेतावनी के एक वाहन उनकी कार के ठीक सामने आकर रुक गया। साई की गाड़ी को भी रुकना पड़ा। साई के ड्राइवर को वाहन से लगभग खींच कर बाहर निकाला गया और उसकी जगह सादे कपड़े पहने एक आदमी को उसमें बैठा दिया गया। पीछे दो अन्य लोगों ने साई को घेर लिया और उनकी गाड़ी में बैठ गए। साईबाबा की गाड़ी को सीधे हवाई अड्डे ले जाया गया। न तो उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया गया और न ही किसी ने साई के रिश्तेदारों को उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया। उन्हें सीधे महाराष्ट्र के नागपुर जा रहे एक विमान में बैठा दिया गया। वहां उतरने के बाद उन्हें बारूदी सुरंगरोधी एक वाहन में बैठाया गया। उनके काफिले में स्वचालित हथियारों से लैस कमांडो मौजूद थे। ऐसा कर के सेना स्पष्ट रूप से यह संदेश देना चाहती थी कि उसने एक खतरनाक आतंकवादी को पकड़ा है, न कि अधिकांश जीवन भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ, महिलाओं और मूलनिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले किसी प्रतिबद्ध राजनीतिक प्रचारक को।

राजनीतिक सक्रियता

जी. एन. साईबाबा दक्षिण भारत के एक छोटे से ग्रामीण समुदाय में पले-बढ़े थे। बचपन में ही पोलियोग्रस्त होने के चलते उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि अन्याय और पूर्वाग्रह कैसे काम करते हैं। स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए साई विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां वह छात्र राजनीति से जुड़ गए। वहां से निकलने के बाद अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में वे नियुक्त हुए, लेकिन अन्याय के खिलाफ उनकी मुखर आलोचना में कोई कमी नहीं आई।

विशेष रूप से, मध्य भारत में रहने वाले तमाम मूलनिवासी समुदायों या आदिवासियों के बीच से माओवादियों या नक्सलियों का सफाया करने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के दौरान उनकी आवाज पहचानी गई। वे इस अभियान के प्रतिरोध का चेहरा बन गए। मध्य भारत ने मूलनिवासियों की जमीन पर बलपूर्वक कब्जे और प्राचीन वनों व समृद्ध खनिज संसाधनों के शोषण के खिलाफ कई जन आंदोलनों को उठते हुए देखा है। कथित तौर पर नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया यह सैन्य अभियान ऐसे ही आंदोलनों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था, जिसके चलते बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

यह क्षेत्र 1960 के दशक से ही संघर्षरत है जबकि 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' 2009 में जाकर शुरू हुआ, जो इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक खुला आक्रमण था। इस परिदृश्य में यहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को रेखांकित और प्रचारित करने के लिए जी. एन. साईबाबा ने *फोरम अगेंस्ट वार ऑन द पीपुल* (लोगों पर युद्ध के विरुद्ध मंच) नाम के एकजुटता संगठन का नेतृत्व किया। ज्यादातर सेना और अर्धसैन्य बलों द्वारा यहां किए गए अत्याचारों का पर्याप्त दस्तावेजीकरण किया गया है। इन अत्याचारों में न्यायेतर हत्याएं, तमाम बलात्कार और लोगों की लाशों का अपमानजनक ढंग से क्षत-विक्षत किया जाना बेहद चिंताजनक बातें है। अनुमान है कि 2009 के बाद से 2000 से अधिक लोगों को यहां मारा जा चुका है।

अपराध और दंड

जी. एन. साईबाबा के प्रचार अभियान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खनन निगमों को इस क्षेत्र में निवेश करने पर ठहर कर सोचने को मजबूर कर दिया। इसीलिए राज्य के निशाने पर उनका आना अपरिहार्य था। कांग्रेस की सरकार के दौरान उनका उत्पीड़न शुरू हुआ। उनके दिल्ली स्थित आवास पर एक से अधिक बार छापा मारा गया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा के राज में भी उनका उत्पीड़न जारी रहा।

जी. एन. साईबाबा का मुकदमा 2017 में शुरू हुआ था। सुनवाई के दौरान सैकड़ों पुलिसवालों की तैनाती से अदालत की किलाबंदी कर के ऐसी धारणा बनाई गई कि वे एक खतरनाक चरमपंथी हैं। उनके ऊपर भारत के आतंकवाद विरोधी कानून गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चला। साई को पांच अन्य लोगों के साथ प्रतिबंधित माओवादी संगठन से कथित संबंधों का दोषी ठहराया गया।

न्यायिक सफर

अक्टूबर 2022 में बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि जी. एन. साईबाबा के खिलाफ शुरुआती मुकदमा ही गड़बड़ था। इसलिए उनके खिलाफ मामला ख़ारिज कर दिया गया। उनकी दोषमुक्ति पर उनके परिवार और समर्थकों का उत्साह जल्द ही फीका पड़ गया, जो कि अविश्वसनीय था। एक 'शहरी नक्सल' (मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कलंकित करने के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द) को रिहा करने के अदालती फैसले से नाराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की विशेष सुनवाई के लिए याचिका डाली। अगले ही दिन, जो कि छुट्टी का दिन था, सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को निलंबित कर दिया। अभी भी जी. एन. साईबाबा भारी निगरानी में एकांतवास में कैद हैं और अपनी व्हीलचेयर के सहारे काल कोठरी की घुमावदार दीवारों के साथ संघर्ष कर रहे हैं।

प्रेम से बड़ा कुछ नहीं

जी. एन. साईबाबा की आजादी की उम्मीद एक बार फिर धराशायी हो गई है। फिर भी, वे भीतर से मजबूत बने हुए हैं। उनके हाथों में संक्रमण है जिसका इलाज नहीं किया गया। वे दर्द से गुजर रहे हैं। महीने में वे दो या तीन पन्ने से अधिक नहीं लिख पाते हैं। लेकिन घर से आई चिट्ठियां, खासकर जीवनसंगिनी के लिखे शब्द, उन्हें अब तक थामे हुए हैं। उन्हीं के शब्दों में,

तुम्हारे प्रेमपत्र में
खुद को डुबोकर, मैं
एकांतवास की उनकी साजिशों को
परास्त करता हूं।

आपसे अनुरोध है कि जी. एन. साईबाबा की तत्काल रिहाई की मांग में हमारा साथ दें।